न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

मुकदमा नम्बर 02/2019
ऑनलाईन नंबर 2019/00144

1. गंगाराम पुत्र श्रीचन्द जाति चमार निवासी व डाकघर भानगढ़ तहसील व जिला भिवानी हरियाणा हाल देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. हरिसिंह पुत्र मातुराम जाति चमार निवासी हरिपुर डाकघर गोलागढ़ जिला भिवानी हरियाणा।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
3. मोहनी देवी पत्नी गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अपीलान्ट
02 श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
03 एकतरफा कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 02
04. श्री गोपीराम जानू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03
05. पैरोकारराज स्टेट की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 04

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम रोही देराजसर के खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार गणेशाराम पुत्र लालूराम जाति मेघवाल निवासी देराजसर था। खातेदार गणेशाराम ने अपीलाधीन रकबा खेत खसरा नम्बर 134 दिनांक 02.04.2008 को अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय—पत्र के विक्रय कर कब्जा क्रेतागण (अपीलान्ट) को सौंप दिया। उक्त विक्रय—पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 89 दर्ज किया गया। जिसमें कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट का इन्तकाल किया गया। उक्त इन्तकाल जांच हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक सूडसर के समक्ष पेश किया, तो भू—अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच में दिनांक 13.04.2010 को लिखा "मुताबिक रिकॉर्ड अंकन सही है क्रेता राजस्थान क्षेत्र के बाहर का निवासी है जो कि भूमि क्रय करने के योग्य नहीं है अतः नामान्तरण स्वीकार किया जाना अनुचित है।" उक्त टिप्पणी को आधार मानकर ग्राम पंचायत सूडसर ने बिना कोई विधिक जांच एवं कारण दर्शाये बगैर इन्तकाल संख्या 89 खारिज कर दिया। पश्चात् विक्रेता गणेशाराम का देहान्त हो गया तो अपीलाधीन रकबा का विरासत इन्तकाल संख्या 514 दिनांक 01.01.2017 द्वारा गणेशाराम की पत्नी के देहान्त होने के बाद अपीलाधीन रकबा जरिए इन्तकाल संख्या 554 दिनांक 20.04.2018 को गणेशाराम की पुत्री मोहनीदेवी के नाम स्वीकृत हुआ उक्त समस्त कार्यवाही इन्तकाल संख्या 89 ग्राम पंचायत सूडसर के द्वारा अस्वीकृत करने से उत्पन्न हुई ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा बिना कोई जांच किये एवं बिना कोई सबूत तत्कालीन प्रभावी कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.28 12:17:40 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है के विरूद्ध यह अपील श्रीमान जी के समक्ष जानकारी के अन्दर मियाद आधारों पर प्रसतुत की जा रही है :–

1. यह कि जैर अपील इन्तकाल संख्या 89 दिनांक 20.04.2010 अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, रूएदाद मिसल, बिना कोई जांच किये पारित होने से काबिले खारिज है।

2. यह कि जैर अपील रकबा रोही ग्राम देराजसर के खेत खसरा नम्बर 134 तादादी 35 बीघा 18 बिस्वा खातेदार गणेशाराम ने अपनी खातेदारी भूमि में से खेत खसरा नम्बर 134 तादादी 35 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 02.04.2008 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 89 दर्ज कर पटवारी हल्का द्वारा अंकन सतयापित हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सूडसर के समक्ष पेश किया गया–दिनांक 13.04.2010 को भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में ''मुताबिक रिकॉर्ड अंकन सही है क्रेता राजस्थान प्रान्त के बाहर निवासी है जो कि भूमि क्रय करने योग्य नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत किया जाना अनुचित है'' का नोट अंकन कर दिया जबकि विक्रय–पत्र सन् 2008 में पंजीकृत हुआ था एवं इन्तकाल उसी समय दर्ज किया जाना चाहिएं था राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश से पहले भूमि क्रय कि गई थी लेकिन अवलोकन एवं जांच किये बिना ही भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इन्तकाल संख्या 89 दिनांक 20.04.2008 को अस्वीकृत कर दिया जो गलत अस्वीकृत किया गया, जो एक तरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सूचना दिए रिकॉर्ड की प्रत्यक्ष त्रुटि करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो साम्य न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिले खारिज है।

3. यह कि जैर अपील इन्तकाल संख्या 89 पटवारी हल्का दर्ज किया जाकर दिनांक 13.04.2010 को भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष पेश किया गया, भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच में अंकन सही होने की पुष्टि की जिसे तस्दीक हेतु पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.04.2010 ग्राम पंचायत सूडसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा बिना कोई जांच किये मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया जो आदेश काबिले खारिज है।

4. यह कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 89 के आधार पर दर्ज कि गई रिपोर्ट के मुताबिक जमाबंदी, पासबुक, गिरदावरी जारी कर दी गई जो कि नामान्तरण दर्ज होने की पुख्ता जानकारी है।

5. यह कि जैर अपील आदेश कि प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट ने कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन हेतु अपने खेत के राजस्व रिकॉर्ड की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम से खातेदारी में कोई जमीन नहीं है। तत्पश्चात [illegible]न रकबा के राजस्व रिकॉर्ड कि नकल निकलवाई गई तो [illegible] 89 दिनांक 20.04.2010 को खारिज किया जा चुका है एवं उसी आधार पर विरासतन इन्तकाल ग्राम पंचायत देराजसर के द्वारा दर्ज किये गये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.28 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि दिनांक 19.08.2019 को समस्त दस्तावेजात कि नकल लेकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। जो स्वीकार योग्य है अपील में मियाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

यह कि अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई किये जाने योग्य है जो न्यायालय के निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश की जा रही है।

8. यह कि अन्य तथ्य वजुवात वरवक्त तलब होने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सूडसर आदेश दिनांक 20.04.2010 इन्तकाल संख्या 89 का इन्तकाल रजिस्टर तलब किया जाकर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर इन्तकाल संचख्या 89 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम रोही ग्राम देराजसर के खेत खसरा नम्बर नया 238 रकबा 9.08 हैक्टेयर का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम प्रदान करें।

प्रस्तुत अपील का अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर करने का आदेश कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम दर्जी ने हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद तामिल हाजिर नहीं होने कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपीराम जानू ने लिखित कथन पेश करते हुए निवेदन किया की अपील अपीलांट स्वीकार की जाति है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। स्टेट की ओर से अपने लिखित कथन में बताया गया कि मौके पर जैरवाद भूमि पर अपीलान्ट काबिज है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा जैरकार ईन्तकाल 89 बिना किसी विधिक जांच के खारिज किया गया है। लिहाजा ग्राम पंचायत देराजसर द्वारा दर्ज विरासतन ईन्तकाल संख्या 514 दिनांक 06.01.2017 एवं ईन्तकाल संख्या 554 दिनांक 20.04.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत देराजसर द्वारा विरासतन रूप से दर्ज किये गए ईन्तकाल संख्या 514 दिनांक 06.01.2017 एवं ईन्तकाल संख्या 554 दिनांक 20.04.2018 निरस्त किये जाकर अपील तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ पुनः विधिक रूप से विक्रय पत्र दिनांक 02.04.2008 की जांच कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि संवत रूप से ईन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.28 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़